सूचना का अधिकार अधिनियम 2005/रजिस्टर्ड
संख्या-35/सू0अ0-04/84-डे0ई0-13-नि0-41/2009

प्रेषक,

धर्मचन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 22 अक्टूबर, 2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित श्री छत्रपति सिंह नेगी, से0नि0 पूर्व विक्रेता, ग्राम व पोस्ट-कुसुमखेड़ा (गायत्री नगर फेस-।) हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) के पत्र दिनांक 14-10-2013 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर मॉगी गयी सूचनायें उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से संबंधित है, तथा निगम स्तर से ही आवेदक को सूचनायें उपलब्ध करायी जानी है। अत: कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 की उपधारा-3 के तहत आवेदक का पत्र दिनांक 14-10-2013 आपको इस आशय के साथ अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर मॉगी गयी सूचनायें उन्हें समयान्तर्गत सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें, तथा आवेदक को उपलब्ध करायी गयी सूचना की एक प्रति शासन को भी तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक :: यथोपरि ।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि श्री छत्रपति सिंह नेगी, से0नि0 पूर्व विक्रेता, ग्राम व पोस्ट-कुसुमखेड़ा (गायत्री नगर फेस-।) हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) को उनके पत्र दिनांक 14-10-2013 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि अपेक्षित सूचनायें सीधे अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in